

**न्यायालय :- श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-350 / 2010
संस्थित दिनांक-10.05.2010
फाईलिंग नं.-234503001602010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

राजकुमार उर्फ राजू पिता स्व. झाड़ूलाल निकोसे, उम्र 41 साल,
जाति महार, निवासी ग्राम भीड़ी थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-02/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 324, 509, 506 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-29.04.2010 को समय 10.00 बजे, स्थान ग्राम भीड़ी जंगल नवनिर्मित तालाब, थानान्तर्गत परसवाड़ा में फरियादिया चंद्रकली की लज्जा भंग करने के आशय से उसे पकड़कर सीना दबाकर, आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादिया चंद्रकली को सीने में धारदार दांत से काटकर उपहति कारित की तथा फरियादिया चंद्रकली का सीना दबाकर ब्लाउस फाड़कर, लुगाई बनाउंगा कहकर उसकी लज्जा का अनादर कर, एकांतता भंग किया व फरियादिया चंद्रकली को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादिया चंद्रकलीबाई ने दिनांक-29.04.2010 को पुलिस थाना परसवाड़ा आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम भीड़ी में वन विभाग द्वारा तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें उसका पुत्र धर्मेन्द्र मजदूरी करने गया था वह स्वयं भी मजदूरी करने गई थी। दिन में लगभग 10.00 बजे आरोपी राजू ग्राम भीड़ी आया और उसे पकड़कर उसका सीना दबा दिया और उसके सीने पर काट दिया। उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसका ब्लाउस फाड़ दिया और उसे अश्लील गालियाँ दी। मौके पर उसके पुत्र धर्मेन्द्र,

सरमन, जेटू ने छुड़ाया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक-22/10, अन्तर्गत धारा-354, 324, 506, 509 भा.दं.सं. के तहत चालान पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 324, 509, 506 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादिया चंद्रकली ने आरोपी से राजीनामा किया। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-509, 506 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 324 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-29.04.2010 को समय 10.00 बजे, स्थान ग्राम भीड़ी जंगल नवनिर्मित तालाब, थानान्तर्गत परसवाड़ा में फरियादिया चंद्रकली की लज्जा भंग करने के आशय से उसे पकड़कर सीना दबाकर, आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया चंद्रकली को सीने में धारदार दांत से काटकर उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

5- फरियादिया/पीड़िता चंद्रकली (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानती है। घटना उसके कथन से लगभग चार-पांच वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को मिट्टी खोदने की बात को लेकर आरोपी से उसका मौखिक वाद-विवाद हो गया था। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त बात उसने थाना परसवाड़ा जाकर बतायी थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष कोई घटनास्थल का नजरी नक्शा नहीं बनाया था। घटनास्थल के नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका कोई ईलाज नहीं करवाया था। पुलिस ने उससे कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसे पकड़ लिया था और

उसके दूध पकड़ कर दबा दिये थे। साक्षी ने इन्कार किया है कि जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने सीने में काट दिया था और उसका ब्लाउस फाड़ दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके बताये अनुसार ही प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेख की थी एवं पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया था तथा पुलिस ने उसका शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में उक्त घटना में आई चोट का ईलाल करवाया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने उससे एक गुलाबी रंग का ब्लाउस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया था एवं उसने पुलिस को प्रदर्श पी-4 का कथन दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका स्वेच्छया राजीनामा हो गया है।

6— साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेख की है परन्तु जैसी उसने घटना पुलिस को बतायी थी उस प्रकार से रिपोर्ट लेख नहीं की गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर जप्ती पत्रक तथा अन्य कार्यवाही पर हस्ताक्षर कर दिये थे उसने जप्ती पत्रक पढ़कर नहीं देखा था और न ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था।

7— अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। प्रार्थी चंद्रकलीबाई उसकी माँ है। घटना उसके कथन से लगभग पांच वर्ष पूर्व दिन के लगभग 10-11 बजे तालाब के पास की है। घटना दिनांक को आरोपी से उसकी माँ का मौखिक वाद-विवाद हो गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कथन नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष चंद्रकलीबाई से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल से उसके समक्ष कोई जप्ती नहीं की थी किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसकी माँ चंद्रकलीबाई को पकड़कर उसका सीना दबा दिया था एवं आरोपी ने उसकी माँ के द्वारा विरोध करने पर ब्लाउस फाड़ दिया था और दांत से सीने में काट दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन लोगों का आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने जो प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेख की है वैसी घटना नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट को पुलिस ने बड़ा चढ़ाकर लेख कर लिया

है एवं उसके समक्ष पुलिस ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही उसने पुलिस को कोई बयान दिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर कर दिये थे एवं उसने जप्ती पत्रक पढ़कर नहीं देखा था और न ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था।

8— अभियोजन साक्षी डॉ.ए.के.गौर (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि उसने दिनांक-09.04.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये सैनिक गोलूसिंह थाना परसवाड़ा के द्वारा आहत चंद्रकलीबाई पति कल्याणगिरी उम्र 36 साल निवासी भीड़ी को मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाने पर परीक्षण किया था। परीक्षण पर उसने आहत के बांये सीने की उपरी ओर हसली के नीचे एक दांत से काटने का निशान होना पाया था एवं चार नीचे के दांतों का निशान लगा हुआ था। आहत को आई उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी जो उसके परीक्षण के छः घण्टे के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि आहत को आई चोट खुरदुरे स्थान पर गिरने से आ सकती है। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसके द्वारा प्रदर्श पी-7 की परीक्षण रिपोर्ट पुलिस के कहने पर झूठी तैयार की थी।

9— प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को शमनीय प्रकृति की धाराओं में दोषमुक्त किया जा चुका है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 324 शमनीय न होने से निर्णय किया जा रहा है। प्रकरण में फरियादी चंद्रकलीबाई (अ.सा.1), धमेन्द्र (अ.सा.2) ने कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी राजकुमार उर्फ राजू से फरियादिया चंद्रकलीबाई का मौखिक विवाद हुआ था। आरोपी ने फरियादिया चंद्रकलीबाई का सीना लज्जा भंग करने के आशय से नहीं दबाया था और न ही उसे सीने पर काटा था। फरियादिया चंद्रकलीबाई को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। मौके पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षी धर्मेन्द्र (अ.सा.2) ने भी अभियोजन कहनी का समर्थन नहीं किया है। चिकित्सक साक्षी डॉ.ए.के.गौर (अ.सा.3) ने अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 को प्रमाणित कर आहत को दिनांक-29.04.2010 को चोट आना पाया है, परन्तु स्वयं फरियादिया/आहत चंद्रकलीबाई तथा मौके पर उपस्थित साक्षी धर्मेन्द्र के न्यायालयीन आक्षेप में आरोपी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-354, 324 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। आरोपी

राजकुमार उर्फ राजू को उपरोक्त धाराओं में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

10- आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

11- प्रकरण में जप्तशुदा एक गुलाबी रंग का ब्लाउस दोनों कंधे से फटा हुआ तथा एक मिलिट्री रंग की केप मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् रूप से नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

cSgj

दिनांक-02.05.2016

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट